



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

पत्रांक: 348 /स०का०/2021

दिनांक- 18/09/2021

सेवा में,

सम्पादक,


1. दैनिक जागरण, गोरखपुर।
2. अमर उजाला, गोरखपुर।

विषय:- नीलामी सूचना विज्ञापित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित नीलामी सूचना को दिये गये प्रारूप एवं (6X4CM) में अपने सम्मानित पत्र के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर संस्कृत विज्ञापित करने तथा विज्ञापित होने के पश्चात् भुगतान हेतु देयक दो प्रति 30% छूट के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय


कुलसचिव



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
अल्पकालीन नीलामी सूचना

पत्रांक-348 /स०का०/2021

दिनांक- 18/09/2021

विश्वविद्यालय परिसर के कुछ निष्प्रयोज्य सामग्री एवं वाहन संख्या यू०पी० 53 ए.जे. 5005 एवं यू०पी 53 एक्स 6001 की नीलामी दिनांक 28.09.2021 को साय 03 बजे कमेटी कक्ष में होनी है। विस्तृत विवरण एवं शर्तें आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

निष्प्रयोज्य सामग्री नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 28.09.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को लेखा विभाग से रू० 2400/- (दो हजार चार सौ रुपये मात्र)(2000+400) की रसीद कटवानी अनिवार्य होगी अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से नियम एवं शर्तें डाउन लोड करने की दशा में रू० 2400/- (दो हजार चार सौ रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा, जो कमेटी कक्ष में दिनांक 28.09.2021 को 3.00 बजे जमा करना होगा।
3. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को रू० 50000/- (रू० पचास हजार) नगद कमेटी कक्ष में दिनांक 28.09.2021 को 03.00 बजे जमा करना होगा।
4. क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित शर्तें पूरा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
5. नीलामी के उपरान्त नीलामी में आये उच्चतम बोली के व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों का रू० 50,000/- (रू० पचास हजार) कमेटी कक्ष में ही वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली का 25% तत्काल जमा करना होगा।
7. उच्च बोली वाले व्यक्ति को 07 दिन के अन्दर नीलामी का पूरा पैसा विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. निष्प्रयोज्य सामग्री के ले जाने में यदि कोई विश्वविद्यालय की क्षति होती है तो क्रेता को उसकी भरपाई करनी होगी।
9. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय मान्य होगा।
10. प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 9 तक की सभी शर्तें मान्य हैं।

प्रार्थी

नाम.....

मो० न०.....

पता.....